समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक 388 दिनांक 10/12/14

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर / सिकरहना / चकिया
अरेराज / रक्सौल / पकड़ीदयाल।

विषयः— वित्तीय वर्ष—2014—15 में गैर योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा के अधीन वस्त्र वितरण कार्यक्रम के तहत राज्य के भूमिहीन निर्धन एवं भिक्षुकों के बीच धोती, साड़ी, चादर (सूती) एवं कम्बल (उनी) वितरण हेतु रू0 2,52,000.00 (दो लाख बावन हजार) मात्र का उपावंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय, स्थायी परिपत्र संख्या—2561 दिनांक—17.04.1998 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या—2011 दिनांक—27.08.2014 के आलोक में निदेशक सामाजिक सुरक्षा बिहार, पटना के ज्ञापांक—70 दिनांक—25.11.14 द्वारा प्राप्त आवंटन से जिले के निर्धन, अपंग, भिक्षुकों, भूमिहीन, असहायक व्यक्तियों के बीच धोती, साड़ी, चादर (सूती) एवं उनी कम्बल क्रय कर चालू वित्तीय वर्ष—2014—15 में वैसे ही व्यक्तियों के बीच मुफ्त वितरण हेतु मॉग संख्या—51 मुख्य शीर्ष—2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष—60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम लघु शीर्ष—200 अन्य कार्यक्रम उपशीर्ष—0002 सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत वस्त्र वितरण विषय शीर्ष—31—06 सहायक अनुदान वेतानादि के अलावा विपत्र कोड—N-2235602000002 के अधीन रू0—2,52,000.00 (दो लाख बावन हजार रूपये) मात्र का उपावंटन निम्नवत किया जाता है:—

क्र0	अनुमण्डल का नाम	उपावंटित राशि
01	02	03
1	सदर, मोतिहारी	82000.00
2	सिकरहना	40000.00
3	चकिया	30000.00
4	अरेराज	30000.00
5	रक्सौल	40000.00
6	पकड़ीदयाल	30000.00
		2,52,000.00 दो लाख बावन हजार

2. सूती वस्त्रों एवं कम्बल का क्रय बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली 2005 में निर्धारित क्रय प्रक्रियाओं के आलोक में किया जायेगा।
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, आवंटित राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण—पत्र सीधे महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार, पटना / सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा, कोषांग, मोतिहारी को उपलब्ध करायेगें।
4. अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा वस्त्रों का क्रय कर उसका इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में किया जायेगा। एवं वस्त्रों का वितरण करने वाले पदाधिकारियों द्वारा उसकी प्रविष्टि उनके स्टॉक / निर्गत पंजी में की जायेगी। लाभान्वितों की सूची (पता सहित) एवं अलग पंजी में संधारित की जायेगी।

5. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनुलग्न–I में वर्णित संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को बिहार कोषागार सहिता का नियम 84 के अन्तर्गत शक्ति प्रदान किया जाता है।

6. इस कार्यक्रम के नियंत्री पदाधिकारी जिला पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी होगें।

कृपया उपरोक्त निदेशों का अविलम्ब दृढ़तापूर्वक अनुपालन कराया जाय।

विश्वासभाजन,

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक....388....सा0सु0दिनांक....10-12-14....

प्रतिलिपिः– निदेशक, सामाजिक सुरक्षा बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

10/12

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक....388....सा0सु0दिनांक....10/12/14....

प्रतिलिपिः– जिला प्रबंधन, आई0टी0 मोतिहारी को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/12

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।